कब्जा मॉगा व कहा कि रामप्रताप हमारे पक्ष में वसीयत कर गया था इसलिए वे हकदार हैं। कूटरचित वसीयत का पता चलने पर एक परिवाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसिंहनगर के न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत् नोटिस नहीं दिया गया है और न ही सुनवाई की गई है। केवल खाना पूर्ति करने के लिए समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी व न्यायिक प्रकिया को नहीं अपनाया है। कथित वसीयत में अपीलांटा सं0 1 के बारे में कुछ अंकित नहीं किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को आधार बनाते हुए अपनी बहस में कहा है कि विवादित सम्पति दोनों भाईयों की थी। दोनों भाई फौत हो चुके हैं। दोनों के वारिस रैकार्ड पर हैं। वसीयत अनरजिस्टर्ड है। सम्पति दोनों भाईयों को अलॉट हुई थी। वसीयत में पुत्रों को सम्पति देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कब्जा आज भी उनके पास है।वसीयत के गवाहान के शपथ पत्र प्रभाव में लेकर करवाये गये हैं। अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी सितम्बर 2007 पेज 672 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि घोषणा का वाद विचाराधीन है। वाद के अंतिम निर्णय से ही अधिकार एवं स्वतत्व का निर्णय होना है। अपीलाधीन भूमि पैतृक नहीं हे बल्कि अलॉटमैन्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–11–09 रामप्रताप द्वारा दिनांक 14–05–07 को की गई वसीयत के आधार पर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई है। वसीयतकर्ता रामप्रताप पुत्र मामराज की उक्त वसीयत के गवाहान से वसीयत का सत्यापन्न करवाया गया है । गवाहान 1. छिन्दासिंह 2. मनी राम द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर वसीयत निष्पादन की पुष्टि की है। वसीयतकर्ता रामप्रताप व लक्ष्मणराम पिसरान मामराज के शामिल खाता में वसीयत से संबंधित भूमि है। यह भूमि इंतकाल सं0 120 दिनांक 15–01–09 के अनुसार खातेदारी है। अपीलाधीन भूमि वसीयतकर्ता को लक्ष्मणराम के साथ संयुक्त रूप से आवंटन शुदा है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील माल प्रकरण सं0 04/12

1. अनचायी देवी पत्नी रामप्रताप (मृतक) के विधिक उतराधिकारीगण
1.1 चोखाराम पुत्र रामप्रताप
1.2 रामेश्वर लाल पुत्र रामप्रताप
1.3 रेशमादेवी पुत्री रामप्रताप
1.4 परमेश्वरी देवी पुत्री रामप्रताप
} अकवाम नायक सकनाए 2 एच छोटी हाल 7 एल पी एम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर।
2. बनवारी लाल
3. गोपालराम
4. बृजलाल
} पिसरान लक्ष्मणराम अकवाम नायक सकनाए 7 एल पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04–11–09 तहसीलदार, रायसिंहनगर

उपस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश छाबड़ा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं0 1 स्टेट
3 श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस सं0 2 से 4

आदेश दिनांक 12–07–17

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थिया सं0 1 के पति व 2 से 5 के पिता स्व0 रामप्रताप व उसके भाई लक्ष्मणराम के नाम चक 7 एल पी एम तहसील रायसिंहनगर में प0 नं0278/358 मु20 नं0 21 व प0नं0 278/359 मु0 नं0 24 कुल 50–00 बीघा भूमि थी। दोनों में आपसी सहमति से विभाजन होकर रामप्रताप के हिस्सा की भूमि को रामप्रताप व उसका परिवार मिलकर काश्त करते रहे और किश्तें जमा करवाते रहे। रामप्रताप का देहान्त दिनांक 13–08–08 को हुआ तथा उसके बाद भी अपीलान्टस के हिस्से की भूमि को अपीलांटस ही काश्त करते आ रहे हैं। अपीलांट की मृत्यू के बाद रामप्रताप के प्रथम श्रेणी के वारिस हैं। दिनांक 31–01–12 से दस रोज पूर्व रेस्पोडेन्टस ने

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलाधीन भूमि वसीयतकर्ता की स्वःअर्जित खातेदारी भूमि है। घटना बही (दैनिक डायरी– हल्का पटवारी, 6 एल.पी.एम.) नं0 17 दिनांक 31–7–09 के अनुसार मौका रिपोर्ट मय मौतबिरान हस्ताक्षर कर, मौका पर कब्जा मुताबिक पटवारी रिपोर्ट बनवारी लाल, गोपालराम, बृजलाल पिसरान लक्ष्मणराम रेस्पोडेन्टस सं0 2 से 4 हिस्सा बराबर है, कब्जा संबंधी पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांयश नहीं है। वकील अपीलांट द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया है, वह पुस्तैनी भूमि के संबंध में है जबकि हस्तगत अपील में भूमि स्वःअर्जित है इसलिए तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 12–07–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर